न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय
1/125	07.09.2021	02.04.2025

बउनवान

1. प्रभूदयाल, पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
2. रामदयाल पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
3. बाबूलाल पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
5. रामचरण पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
6. हरिशंकर पुत्र प्रभूदयाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा

––वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र ठन्डूराम जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
2. मांगेलाल पुत्र ठन्डूराम जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
3. शिवदयाल पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
4. कैलाश पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
5. सोहनलाल पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
6. हिमाचल कुमारी पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपुत निवासी रंगोली गार्डन फलेट नम्बर 193, ब्लॉक 24 महाराणा मार्ग वैशाली नगर जयपुर राज0
7. अन्विषिका पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि पंकज निवासी डी एल एफ न्यू टाउन हाईट फलेट नम्बर 104 सैक्टर 86 गुरूग्राम 122004 हरियाणा
8. नवदर्शनी पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि अनिल निवासी 8720 तंवर ड्राईव ओलम्बिया मैरी लैण्ड 21045 यू एस ए
9. रक्तासना पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह पत्नि कुशाल निवासी प्लॉट नम्बर 2129 ब्लॉक 33, रंगोली गार्डन महाराणा प्रताप मार्ग वैशाली नगर जयपुर राज0
10. भूनेश्वरी पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि भूपेन्द्र सिंह निवासी प्लॉट नम्बर 96 सैक्टर–02 मॉर्डन स्कूल रोड, ओसलो गांधी धाम कच्छ (गुजरात) 370201
11. घनश्याम सिंह पुत्र विजय कंवर जाति राजपूत निवासी देहली रेस क्लब, रेस कोर्स रोड नई दिल्ली
12. राजस्थान सरकार जिला कलक्टर अलवर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा

––प्रतिवादीगण

राजस्व वाद इश्तकरारहक,
घोषणात्मक एवं दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः–1. श्री सतीश कुमार शर्मा एड0
2. श्री अरविन्द कुमार दीक्षित अभिभाषक वादीगण

निर्णय

वादीगण ने राजस्व वाद इश्तकरारहक, घोषणात्मक एवं दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1165 रकबा 1.41 है0 1167/2970 रकबा 0.32 है0 साबिक खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

रंगोली गार्डन फलेट नम्बर 193, ब्लॉक 24, महाराणा मार्ग, वेशाली नगर, जयपुर राजस्थान।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय
1/125	07.09.2021	02.04.2025

बउनवान

1. प्रभूदयाल, पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
2. रामदयाल पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
3. बाबूलाल पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
5. रामचरण पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
6. हरिशंकर पुत्र प्रभूदयाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा

––वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र ठन्डूराम जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
2. मांगेलाल पुत्र ठन्डूराम जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
3. शिवदयाल पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
4. कैलाश पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
5. सोहनलाल पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
6. हिमाचल कुमारी पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपुत निवासी रंगोली गार्डन फलेट नम्बर 193, ब्लॉक 24 महाराणा मार्ग वैशाली नगर जयपुर राज0
7. अन्विषिका पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि पंकज निवासी डी एल एफ न्यू टाउन हाईट फलेट नम्बर 104 सैक्टर 86 गुरूग्राम 122004 हरियाणा
8. नवदर्शनी पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि अनिल निवासी 8720 तंवर ड्राईव ओलम्बिया मैरी लैण्ड 21045 यू एस ए
9. रक्तासना पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह पत्नि कुशाल निवासी प्लॉट नम्बर 2129 ब्लॉक 33, रंगोली गार्डन महाराणा प्रताप मार्ग वैशाली नगर जयपुर राज0
10. भूनेश्वरी पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि भूपेन्द्र सिंह निवासी प्लॉट नम्बर 96 सैक्टर–02 मॉर्डन स्कूल रोड, ओसलो गांधी धाम कच्छ (गुजरात) 370201
11. घनश्याम सिंह पुत्र विजय कंवर जाति राजपूत निवासी देहली रेस क्लब, रेस कोर्स रोड नई दिल्ली
12. राजस्थान सरकार जिला कलक्टर अलवर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा

––प्रतिवादीगण

राजस्व वाद इश्तकरारहक,
घोषणात्मक एवं दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः–1. श्री सतीश कुमार शर्मा एड0
2. श्री अरविन्द कुमार दीक्षित अभिभाषक वादीगण

निर्णय

वादीगण ने राजस्व वाद इश्तकरारहक, घोषणात्मक एवं दुरूस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1165 रकबा 1.41 है0 1167/2970 रकबा 0.32 है0 साबिक खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

नम्बर 460 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.77 है0 साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 07 बीघा हाल खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.54 है0 साबिक खसरा नम्बर 462 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम मालीबास तह0 मालाखेडा में स्थित है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.77 है0 साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 07 बीधा हाल खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.54 है0 साबिक खसरा नम्बर 462 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम मालीबास में वादीगण संख्या 1 लगायत 6 द्वारा तत्समय के खातेदार काश्तकार गिरधर सिंह, घनश्याम सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शिवकुमार सिंह, नवनीश कुमार सिंह, पुत्रान विजय कुवंर, मीरा कुमारी पुत्री विजय कुवंर राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.06.1994 को खरीद की गई थी जिसका बैय इन्तकाल उक्त आराजीयात का इन्तकाल संख्या 111 दिनांक 07.06.1994 को 2/3 भाग का तस्दीक हुआ जिस पर वादीगण संख्या 1 लगा0 5 उक्त वर्णित खरीद शुदा आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड व मसाबी तथा सम्वत 2020 बन्दोबस्त विभाग द्वारा कायम किये गये नक्शे अनुसार भौतिक रूप से काबिज होकर निरन्तर आज तक काश्त करते चले आ रहे है। साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 7 बीघा हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.77 है0 साबिक खसरा नम्बर 462 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम मालीबास के तत्समय 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार नवनीश कुमार सिंह पुत्र विजय कुवंर, श्रीमती मीरा कुमारी पुत्री विजय कुमार जाति राजपूत निवासी ग्राम बीजवाड नरूका से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1994 को खरीद की गई जिसका बैय इन्तकाल संख्या 116 दिनांक 29.06.1994 बन्दोबस्त के दौरान ही वादीगण के पक्ष मे तस्दीक हुआ जिस पर वादीगण संख्या 1 लगा0 6 उक्त वर्णित खरीद शुदा आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड व मसाबी तथा सम्वत 2020 बन्दोबस्त विभाग द्वारा कायम किये गये नक्शे अनुसार भौतिक रूप से काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों व बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा वर्णित विवादित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, गिरदावरी, मसाबी सन् 1921 व साबिक बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2020 पूर्ववर्ती राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक भौतिक स्थिति के अनुरूप तैयार किया गया तथा बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा भी बन्दोबस्त नक्शा 2020 पूर्ववर्ती मसाबी सन् 1921 अनुसार तैयार किया गया। जिस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ही वादीगण द्वारा वादी वर्णित आराजीयात में से साबिक खसरा नम्बर 461, 462 हाल खसरा नम्बर 1166, 1167 वाके ग्राम मालीबास खरीद किया गया। वादीगण द्वारा जब साबिक खसरा नम्बर 461, 462 हाल खसरा नम्बर 1166, 1167, 1167/2970 तत्समय के खातेदार काश्तकारान से उनका समस्त रकबा तत्समय के मौके अनुसार खरीद किया गया तब राजस्थान सरकार के बन्दोबस्त विभाग द्वारा राजस्व ग्राम मालीबास का बन्दोबस्त सर्वे किया जा रहा था तथा वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 461 व हाल खसरा नम्बर 1166 के एक चक में बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौके व साबिक रिकॉर्ड के विपरीत मनमाने तरीके से वादीगण के रकबे को प्रतिवादीगण का रकबा अंकित करते हुये उसे 1167/2970 रकबा 0.32 ऐयर वाके ग्राम मालीबास विधि विरूद्ध तरीके से कायम कर दिया गया। राजस्थान सरकार के बन्दोबस्त विभाग द्वारा मालीबास राजस्व ग्राम का बन्दोबस्त करने से पूर्व सर्वे करते समय बन्दोबस्त जमाबन्दी व नक्शा मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति का अध्ययन नहीं किया जाकर बन्दोबस्त कार्यालय में बैठकर ही बन्दोबस्त जमाबन्दी व बन्दोबस्त नक्शा मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के विपरीत विधि विरुद्ध व मनमाने व गलत तरीके से तैयार करते हुए वादीगण की खातेदारी की आराजी का नक्शा, मसाबी व पूर्ववर्ती नक्शा सम्वत 2020 का मिलान न करते हुए तैयार कर उसे अन्तिम रूप दे दिया गया। जिसमें वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1166 की पश्चिमी दिशा में एक नवीन खसरा नम्बर 1167/2970 रकबा 0.32 ऐयर वाके ग्राम मालीबास साबिक खसरा नम्बर 460 का भाग वाके ग्राम मालीबास विधि विरुद्ध हाल राजस्व नक्शें में दर्शा दिया गया। जबकि पूववर्ती समस्त राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार का खसरा नम्बर, रकबा व नक्शा ही वजूद में नहीं था। इस प्रकार साबिक आराजी खसरा नम्बर 460, हाल खसरा नम्बर 1167/2970 रकबा 0.32 ऐयर प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्तकारी में हाल बन्दोबस्त विभाग द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से दर्शा दिया गया। जबकि उक्त खसरा नम्बर व उसका रकबा कभी भी प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्तकारी की हाल खसरा नम्बर 1165, साबिक खसरा नम्बर 460 का भाग व रकबा नही रहा तथा ना ही मौके पर पूर्व में इस

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

प्रकार का नक्शा बजूद में था। बल्कि उक्त रकबा वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 461 हाल खसरा नम्बर 1166 का भाग रहा है तथा मौके पर आज भी एक ही खेत है। जिसमें किसी प्रकार का कोई पगंडडी ना तो पूर्व में कभी रही तथा ना ही आज हैं। जिससे विदित है कि हाल बन्दोबस्त विभाग द्वारा बन्दोबस्त जमाबन्दी व नक्शा में विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण की आराजी के साबिक खसरा नम्बर 461 हाल खसरा नम्बर 1166 में लापरवाही पूर्वक व गलत तरीके से उक्त खसरा नम्बर 1167/2970 वाके ग्राम मालीबास नाहक ही प्रतिवादीगण के नाम कायम किया गया है। जो खसरा नम्बर व तत्पश्चात डिक्री के आधार पर कायम किये गये समस्त खसरा नम्बर कलमजन किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक हैं। समस्त प्रतिवादीगण को हाल बन्दोबरत 2051 की जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल व नक्शा तथा तत्पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा समय समय पर तैयार किये जा रहे राजस्व जमाबन्दी, गिरदावरी व नक्शें की बखूबी जानकारी थी। जिसका फायदा उठाते हुए मदनलाल द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत 53, आरटीएक्ट, अनुवानी मदन लाल बनाम शिवदयाल सोहनलाल माली बगैराह साबिक खसरा नम्बर 460 हाल खसरा नम्बर 1165 रकबा 1.30 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1167/2970 रकबा 0.32 वाके ग्राम बीजवाड, तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान की बाबत सहायक जिलाधीश अलवर की अदालत में प्रस्तुत किया गया। जिस वाद को वाद संख्या 01/08 दिनांक 20.01.2016 को दर्ज किया जाकर उक्त राजस्व वाद को लोक अदालत में विधि विरूद्ध तरीके से पूर्ववर्ती राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी 2012 लगायत 2020, मसाबी, साबिक व हाल बन्दोबस्त नक्शा व हाल जमाबन्दी गिरदावरी व ट्रेस नक्शा) का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 30.05.2016 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री फरमा दिया गया। जिसकी अन्तिम डिकी दिनांक 11.02.2017 (संशोधित डिक्री दिनांक 20.02.2017) को पारित की गयी। जिसकी अपील वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष विचाराधीन चली आ रही है। जिस राजस्व अपील में भी मिन वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10, सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर दी गयी है। प्रतिवादीगण के मध्य जो राजस्व वाद संख्या 01/08/2016 अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट के तहत सहायक जिलाधीश अलवर की अदालत में विचाराधीन चला आ रहा था। जिस राजस्व वाद में पीठासीन अधिकारी द्वारा समस्त राजस्व रिकॉर्ड व दीवानी प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों का अवलोकन ही नहीं किया गया। जिस राजस्व वाद का समस्त राजस्व रिकार्ड व मसाबी साबिक व हाल बंदोबस्त नक्शा एक दूसरे की पुष्ठि नहीं करते थे तथा उक्त राजस्व वाद में वादीगण द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को भी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था। उक्त राजस्व वाद में वादीगण भी पक्षकार नहीं थे जिस कारण उक्त राजस्व वाद में पारित निर्णय व डिकी वादीगण के हकूकों के मुकाबले बातिल बेअसर करार शून्य निष्प्रभावी है तथा उक्त राजस्व वाद में पारित निर्णय व डिक्री वादीगण पर बाध्यकारी व प्रभावी नहीं है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमायी जाने की आज्ञा वादीगण के हक में सादिर फरमाये जाने का अनुतोष चाहा कि:—

साबिक खसरा नम्बर 460 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1165 रकबा 1.41 हैक्टयर हाल खसरा नम्बर 1167/2970 रकबा 0.32 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 07 बीघा हाल नम्बर 1166 रकबा 1.77 हैक्टयर, साबिक खसरा 462 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.54 हैक्टेयर वाके ग्राम मालीबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर के हाल बन्दोबस्त नक्शा व निर्णय व डिक्री की पालना में प्रतिवादीगण के नाम कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 1167/2970, 1167/3108, 1167/3109, 1167/3110, 1167/3111, 1167/3112, 1167/3113 के नक्शा ट्रेस व हाल रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाकर मसाबी एवं सम्वत् 2020 बन्दोबस्त नक्शा अनुसार समस्त हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञा सादिर फरमायी जावे। साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 07 बीघा हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके ग्राम मालीबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर में वादीगण की आराजी में हाल बन्दोबस्त में बन्दोबस्त विभाग द्वारा पश्चिमी डोल पर कायम किये गये खसरा नम्बर 1167/2970 रकबा 0.32 हैक्टयर तत्पश्चात राजस्व वाद मदन लाल बनाम शिवदयाल बगैरहा में पारित निर्णय व डिक्री की पालना में कायम नवीन खसरा

उ. अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

नम्बर 1167/2970, 1167/3108, 1167/3109, 1167/3110, 1167/3111, 1167/3112, 1167/3113 वाके ग्राम मालीबास में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर साबिक बन्दोबस्त नक्शा व मसाबी अनुसार हाल नक्शा व ट्रेश नक्शा कायम किये जाने की घोषणा जारी की जाकर समस्त हाल कागजात माल में इसी कदर दुरूस्ती की जावे। खसरा नम्बर 1167/2970, 1167/3108, 1167/3109, 1167/3110, 1167/3111, 1167/3112, 1167/3113 वाके ग्राम मालीबास तहसील मालाखेडा जिला अलवर की बाबत सहायक जिलाधीश अलवर की अदालत द्वारा अनुवानी मदनलाल माली बनाम शिवदयाल माली वगैरहा राजस्व वाद संख्या 01/08/2016 में प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 11.02.2017 संशोधित डिक्री दिनांक 20.02.2017 को वादीगण के हकूकों के मुकाबलें बातिल बेअसर करार शुन्य निष्प्रभावी नाकाबिल फरमायी जाने की घोषणा जारी करने की आज्ञा सादिर फरमायी जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी को रहन बय हिबा के जरिये मुन्तिकल ना करे, तथा अरसे दराज से बनी हुई डोल अनुसार ही अपनी–अपनी काश्तकारी कार्य कारित करें व वादीगण के कब्जे काश्तकारी में मजाहमत दखलान्दाजी पैदा ना करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 05, प्रतिवादीगण संख्या 06 लगा0 08 एवं प्रतिवादीगण संख्या 10, 11 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित बिन्दुओं को स्वीकारते हुये दुरस्ती किये जाने का कथन किया। प्रतिवादी संख्या 09 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1167/2970, 1167/3108, 1167/3109, 1167/3110, 1167/3111, 1167/3112, व 1167/3113 वाके ग्राम मालीबास तह0 मालाखेडा जिला अलवर मे से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर सम्वत् 2020 बन्दोबस्त नक्शा मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे।

——जिम्मे वादीगण

2. आया वाद, विवादित आराजीयात बाबत सहायक जिलाधीश अलवर की अदालत द्वारा अनुवानी मदनलाल माली बनाम शिवदयाल माली वगै0 राजस्व वाद संख्या 1/08/2016 मे प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 व संशोधित डिक्री दिनांक 20.02.2017 को वादीगण के हकूकों के खिलाफ नाकाबिल फरमायी जावे।

——जिम्मे वादीगण

3. आया वाद, जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावें।

——जिम्मे वादीगण

4. आया वाद, विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1165 रकबा 1.41 है0, 1167/2970 रकबा 0. 32 है0 साबिक रिकॉर्ड के विपरित मनमाने तरीके से कायम किये गये है, दुरूस्ती योग्य है।

——जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया वाद, विवादित आराजीयात बाबत वाद मदनलाल माली बनाम शिवदयाल माली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 27.12.2021 को पुनः न्यायालय को पत्रावली रिमाण्ड कर दी गई है। विचारणीय उक्त दोनो वादों को कन्सोलिडेट किया जाकर निर्णय किया जावें।

——जिम्मे प्रतिवादीगण

6. अन्य दादरसी।

वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2070–2075 प्रदर्श 1 लगा0 8, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074–2077 प्रदर्श 9 लगा0 11, नकल नक्शा ट्रेस सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श 12, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2051–2070 प्रदर्श 13–14, मैट्रिक शीट सन् 1992–1993 प्रदर्श 15, भू–प्रबन्ध विभाग जमाबन्दी सम्वत् 2051–2070 प्रदर्श 16–17, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2014

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

प्रदर्श 18, नक्शा किश्तबार सन् 1954 प्रदर्श 19, अराल राजीनामा प्रदर्श 20 बैयनामा दिनांक 02.06.1994 प्रदर्श 21–22, बैयनामा दिनांक 20.06.1994 प्रदर्श 23, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है।

पत्रावली में वादीगण के साक्ष्य लिये गये। वकील वादी ने पी.डब्ल्यू.–1 प्रभुदयाल सैनी, पी.डब्ल्यू.–2 हरिशंकर सैनी, पी.डब्ल्यू.–3 रामचरण सैनी, पी.डब्ल्यू.–4 रामदयाल सैनी, पी.डब्ल्यू.–5 बाबूलाल सैनी, पी.डब्ल्यू.–6 लक्ष्मीनारायण सैनी के शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 460 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1165 रकबा 1.41 है0, 1167/2970 रकबा 0.32 है0, साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 07 बीघा हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.77 है0 साबिक खसरा नम्बर 462 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम मालीबास को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 द्वारा तत्समय के खातेदार काश्तकार गिरधर सिंह, घनश्याम सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शिवकुमार सिंह, नवनीश कुमार सिंह पुत्रान विजय कुवंर, मीरा कुमारी पुत्री विजय कुवंर से जरिये बैयनामा दिनांक 02.06.1994 को खरीद किया था जिसका बैय इन्तकाल संख्या 111 दिनांक 07.06.1994 को हिस्सा 2/3 का दर्ज किया गया। उक्त आराजी के 1/3 भाग के खातेदार नवनीश पुत्र विजय कुवंर एवं मीरा कुमारी पुत्री विजय कुवर से जरिये बैयनामा वादीगण द्वारा दिनांक 20.06.1994 को खरीद किया जिसका बैय इन्तकाल संख्या 116 दिनांक 29.06.1994 दर्ज किया गया। विवादित आराजी के बाबत न्यायालय सहायक जिलाधीश द्वारा दिनांक 30.05.2016 को बउनवानी वाद मदनलाल बनाम शिवदयाल प्रारम्भिक डिक्री किया गया। प्रारम्भिक डिक्री के पश्चात दिनांक 20.02.2017 को अन्तिम डिक्री किया गया जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहा की गई। खसरा नम्बर 1167/2970 हमारी खातेदारी में दर्ज किया जाकर नक्शा दुरूस्त किया जावे।

वकील वादी ने अपनी बहस के साथ हाल जमाबंदी खसरा नम्बर 1165, 1167/2970 जो मदनलाल पुत्र ठन्डूराम की खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी खसरा नम्बर 1166 व 1167 जो वादीगण की खातेदारी में वर्तमान जमाबंदी खसरा नम्बर 1165/3107, 1167/3108, 1165/3116, 1167/3113, 1165/3105, 1167/3112, 1165/3104, 1167/3109, 1167/3110, 1165/3102, 1167/3111 जो प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है, दस्तावेज पेश किये है। सम्वत् 2051–2070 में खसरा नम्बर 460 प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड के दस्तावेज पेश किये है।

वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया।

साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 7 बीघा हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.77 है0, साबिक खसरा नम्बर 462 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम मालीबास वादीगण ने जरिये पंजीकृत बैयनामा प्रतिवादीगण से खरीद किया जिसका इन्तकाल संख्या 111 दिनांक 07.06.1994 एवं इन्तकाल संख्या 116 दिनांक 29.06.1994 बन्दोबस्त के दौरान वादीगण के पक्ष में दर्ज होकर स्वीकार हुये जिनके वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बरान का नक्शा मसाबी सन् 1954 में सही रूप से अंकन है किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा बन्दोबस्त नक्शा सन् 1992–1993 के दौरान नक्शा बनाते समय खसरा नम्बर 1167/2970 को तरफ पश्चिम में दर्शा दिया गया जबकि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राजात मसाबी सन् 1954 के अनुरूप दर्शाना चाहिये था। उक्त खसरा नम्बर का गलत जगह इन्द्राज होने पर प्रतिवादीगण ने न्यायालय सहायक जिलाधीश अलवर के यहां वाद संख्या 1/08/2016 अनुवान मदनलाल माली बनाम शिवदयाल माली वगै0 दायर किया गया जिसे न्यायालय सहायक जिलाधीश अलवर ने डिक्री किया। न्यायालय सहायक जिलाधीश अलवर के निर्णय/डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 20.02.2017 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां अपील दायर की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने न्यायालय सहायक जिलाधीश अलवर के निर्णय/डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 20.02.2017 को अपास्त किया गया। बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 1167/2970 के साथ साथ अन्य सभी खसरा नम्बरान

अधिकारी
...खण्ड (...) राज0

1167/3108, 1167/3109, 1167/3110, 1167/3111, 1167/3112, 1167/3113 को भी गलत जगह दर्शा दिया गया। बन्दोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राजात के अनुसार ही हाल इन्द्राजात रिपीट करने चाहिये थे यदि बन्दोबस्त विभाग को किसी भी प्रकार के इन्द्राजात बदलने थे तो इसके लिये बन्दोबस्त विभाग को सक्षम अधिकारी से अनुमति/आदेश प्राप्त करनी चाहिये थी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/आदेश के किसी भी इन्द्राजात को कानूनन इधर–उधर नही किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 7 बीघा हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम मालीबास तहसील मालाखेडा में वादीगण की आराजी में हाल बन्दोबस्त विभाग द्वारा पश्चिमी डोल पर कायम किये गये खसरा नम्बर 1167/2970 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मालीबास तहसील मालाखेडा मे से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। इसी प्रकार साबिक बन्दोबस्त नक्शा सम्वत् 2020 व मसाबी सन् 1954 के अनुसार हाल नक्शा व ट्रेस नक्शा दुरूस्त दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्तकारी में मजाहमत दखलान्दाजी पैदा ना करें। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आंज दिनांक 02.04..2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S.
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
1/125	07.09.2021	02.04.2025

बउनवान

1. प्रभूदयाल, पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
2. रामदयाल पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
3. बाबूलाल पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
5. रामचरण पुत्र मामराज जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा
6. हरिशंकर पुत्र प्रभूदयाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड नरूका तह0 मालाखेडा

——वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र ठन्डूराम जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
2. मांगेलाल पुत्र ठन्डूराम जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
3. शिवदयाल पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
4. कैलाश पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
5. सोहनलाल पुत्र प्यारेलाल जाति माली निवासी ग्राम बीजवाड तह0 मालाखेडा
6. हिमाचल कुमारी पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपुत निवासी रंगोली गार्डन फलेट नम्बर 193, ब्लॉक 24 महाराणा मार्ग वैशाली नगर जयपुर राज0
7. अन्विषिका पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि पंकज निवासी डी एल एफ न्यू टाउन हाईट फलेट नम्बर 104 सैक्टर 86 गुरूग्राम 122004 हरियाणा
8. नवदर्शनी पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि अनिल निवासी 8720 तंवर ड्राईव ओलम्बिया मैरी लैण्ड 21045 यू एस ए
9. रक्तासना पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह पत्नि कुशाल निवासी प्लॉट नम्बर 2129 ब्लॉक 33, रंगोली गार्डन महाराणा प्रताप मार्ग वैशाली नगर जयपुर राज0
10. भूनेश्वरी पुत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह जाति राजपूत पत्नि भूपेन्द्र सिंह निवासी प्लॉट नम्बर 96 सैक्टर–02 मॉर्डन स्कूल रोड, ओसलो गांधी धाम कच्छ (गुजरात) 370201
11. घनश्याम सिंह पुत्र विजय कंवर जाति राजपूत निवासी देहली रेस क्लब, रेस कोर्स रोड नई दिल्ली
12. राजस्थान सरकार जिला कलक्टर अलवर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा

——प्रतिवादीगण

राजस्व वाद इश्तकरारहक,
घोषणात्मक एवं दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः—1. श्री सतीश कुमार
2. श्री अरविन्द कुमार दीक्षित अभिभाषक वादीगण

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 461 रकबा 7 बीघा हाल खसरा नम्बर 1166 रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम मालीबास तहसील मालाखेडा में वादीगण की आराजी में हाल बन्दोबस्त विभाग द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

पश्चिमी डोल पर कायम किये गये खसरा नम्बर 1167/2970 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मालीबास तहसील मालाखेडा मे से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। इसी प्रकार साबिक बन्दोबस्त नक्शा सम्वत् 2020 व मसाबी सन् 1954 के अनुसार हाल नक्शा व ट्रेस नक्शा दुरूस्त दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्तकारी में मजाहमत दखलान्दाजी पैदा ना करें। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

यह पर्चा डिक्री आंज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर जारी की गई।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०